संख्या-340/2015/876जेपीआर/22-3-15-200(1)/2015

प्रेषक,

आर0के0 दिवेदी,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ अधीक्षक,
सम्पूर्णानन्द शिविर, सितारगंज,
ऊधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 31 दिसम्बर, 2015***

विषय- सम्पूर्णानन्द शिविर सितारगंज, ऊधमसिंह नगर में निरूद्ध बंदियों को स्वीकृत 15 दिन के गृह अवकाश की अवधि में 15 दिन की वृद्धि किये जाने सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-304/2015/3678जेएल/22-3-15-200(1)/2015, दिनांक 19-11-2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के साथ संलग्न सूची में 42 बंदियों को 15 दिन के गृह अवकाश की स्वीकृति कतिपय शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है। शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश के साथ संलग्न सूची में सम्मिलित बंदियों में से निम्नलिखित 03 बंदियों को पूर्व से स्वीकृत गृह अवकाश की अवधि में 15 दिन के वृद्धि की एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.स.	बंदी एवं उसके पिता का नाम	जनपद का नाम	बंदी संख्या
1	आबिद पुत्र श्री अब्दुल रहमान	मुरादाबाद	16201
2	निसार पुत्र मो0 सकलेन	बुलन्दशहर	16058
3	सत्यप्रकाश पुत्र श्री गंगाप्रसाद	कासगंज	15919

भवदीय,

(आर0के0 दिवेदी)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-340/2015/876जेपीआर(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(आर0के0 दिवेदी)
विशेष कार्याधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in